2017 का विधेयक संख्यांक 71.

[दि कांस्टिट्यूशन (वन हन्ड्रेड एंड ट्वेन्टी-थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अनुच्छेद 338 का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (10) में, "ऐसे पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी है" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश है" शब्द रखे जाएंगे ।

नए अनुच्छेद 338ख का अंत:स्थापन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 338क के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ।

"338ख. (1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक आयोग होगा ।

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे तथा इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करें ।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(4) आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे--

(क) इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और मानीटर करना ;

(ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित किए जाने और रक्षापायों के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना ;

(ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ;

(घ) राष्ट्रपति को, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग उचित समझे, उन रक्षापायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(ङ) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना, जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, उन रक्षापायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, किए जाने चाहिए ; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो राष्ट्रपति, संसद् द्वारा किए गए उपबंधों के अध्यधीन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(6) राष्ट्रपति, ऐसी सभी रिपोर्टों को, संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई

या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की, और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :--

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना ;

(ङ.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति नियम अवधारित करें ।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी ।

नए अनुच्छेद 342क का अंत:स्थापन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 342 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग ।

"342क. (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां कोई राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग होने के रूप में समझे जाएंगे ।

(2) संसद् विधि द्वारा खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में या उससे किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु पूर्वोक्त के सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी किसी अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।"।

अनुच्छेद 366 का

5. संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (26ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड

संशोधन । अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(26ग) ''सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों'' से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342क के अधीन पिछड़ा वर्ग होना समझा गया है ;'।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के पारित किए जाने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया । उक्त आयोग, 1987 के संकल्प के अधीन स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर 12 मार्च, 1992 को गठित किया गया था । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान या अन्य विधियों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सभी रक्षापायों को मानीटर करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन गठित किया गया था ।

2. संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 338क अंत:स्थापित करके पृथक् राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था । परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन निर्देश, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तक निर्बंधित था । वर्तमान में, संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (10) के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़े वर्गों के साथ विभेद से संबंधित शिकायतों और परिवादों की जांच-पड़ताल करने के लिए भी सशक्त है ।

3. वर्ष 1992 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले (एआईआर 1993, एससी 477) में भारत सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने तथा अधिक सम्मिलित किए जाने और कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों के अनुरोधों को ग्रहण करने, उनकी परीक्षा करने और उनकी सिफारिश करने के लिए एक स्थायी निकाय गठित करने का निदेश दिया था । उक्त निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम अप्रैल, 1993 में अधिनियमित किया गया था और उक्त अधिनियम के अधीन 14 अगस्त, 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था । वर्तमान में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्य, सूचियों में किसी पिछड़ी जाति के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के लिए अनुरोधों की परीक्षा करने तक तथा ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक सम्मिलित किए जाने या कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों को सुनने तक और केंद्रीय सरकार को ऐसी सलाह, जो वह उचित समझे, देने तक सीमित है । अब, पिछड़े वर्गों के हितों की और अधिक प्रभावी रूप में सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान संवैधानिक प्रास्थिति के साथ राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का प्रस्ताव है ।

4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी 2014-15 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि अनुच्छेद 338 के खंड (10) के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की शिकायतें, निपटाए जाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को आयोग को दी जानी चाहिए ।

5. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए भारत के संविधान के संशोधन का प्रस्ताव है, अर्थात् :--

(क) नया अनुच्छेद 338ख अंत:स्थापित करना, जिससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा सके, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य

सदस्य सम्मिलित होंगे । उक्त आयोग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की शिकायतों को सुनेगा, जिस कार्य का निर्वहन अब तक अनुच्छेद 338 के खंड (10) के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किया गया है ; और

(ख) नया अनुच्छेद 342क अंत:स्थापित करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग होना समझा जाएगा ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
30 मार्च, 2017

थावरचंद गहलोत

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 के उपखंड (2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे और इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी, जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करे ।

2. आयोग के पूर्वोक्त सदस्यों के साथ ही साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के विद्यमान कर्मचारीवृंद, जो अनुच्छेद 338ख के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को स्थानांतरित हो जाएंगे, की स्थापन लागत के लिए अपेक्षित निधियां वही होंगी, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए बजट में दी गई और आबंटित हैं । वर्ष 2016-17 के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बजट 4.80 करोड़ रुपए है । राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बनाए जाने के कारण कोई अतिरिक्त वित्तीय विवक्षा नहीं होगी क्योंकि यह न केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के विद्यमान कर्मचारीवंद की पदसंख्या को बिना किसी वेतनवृद्धि के लेगा, बल्कि उसी कार्यालय परिसर का उपयोग भी करेगा, जिसका उपयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किया जा रहा था ।

उपाबंध

भारत का संविधान से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ।

338. (1) अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा ।

*   *   *   *   *   *

(10) इस अनुच्छेद में, अनुसूचित जातियों के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी है ।

*   *   *   *   *   *

GMGIPMRND—5740LS(CRC)—30-3-2017.